भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4140

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दिव्य कला मेला

4140. सुश्री बाँसुरी स्वराज :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए देश भर में बड़े पैमाने पर दिव्य कला मेले आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई स्कीम या योजनाएं हैं;

(ख) हाल के वर्षों में रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्य कला मेले से लाभान्वित हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का दिव्य कला मेले की सफलता के मद्देनजर इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार जागरूकता सृजन और प्रचार योजना [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत उप-योजना] के अंतर्गत बड़े स्तर पर दिव्य कला मेलों का आयोजन कर रही है ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और दिव्यांगजनों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।

दिसंबर, 2022 से अब तक, देश भर में 24 दिव्य कला मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन दिव्य कला मेलों में सहभागिता से लगभग 1550 दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को लाभ मिला है, जिसमें उन्होंने 16.80 करोड़ रुपये के सामान की बिक्री की है। इन मेलों के दौरान, नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) द्वारा ऋण योजना के तहत 919 दिव्यांगजनों के लिये 17.42 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

*****